HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Miscellaneous Appeal No. 2693/2010

Lalu Ram Meena son of Shri Jagannath Meena, resident of Bagpura, Post Chharda, Tehsil and District Dausa (Raj.)

----Claimant-Appellant

Versus

1. Ishwar Singh son of Shri Prahlad Singh, resident of Bei Gate, Jhajhar, P.S. and District Jhajhar (Hariyana) (Driver)
2. Krishna son of Shri Prahlad Singh Gurjar, resident of 4012/3, Geri Gate, Jhajhar, P.S. and District Jhajhar (Hariyana) (Owner)
3. The Oriental Insurance Company Limited, Regional Office, Anand Bhawan, Sansar Chandra Road, Jaipur through Regional Manager.

----Non Claimants/Respondents

For Appellant(s)	:	Mr. Sandeep Mathur, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Tripurari Sharma, Adv. with Mr. Bhupendra Singh, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE ASHUTOSH KUMAR

Judgment

08/05/2026

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील धारा 173 मोटर वाहन अधिनियम–1988 के तहत न्यायालय **न्यायाधीश, मोटर दुर्घटना वाद अधिकरण, दौसा** (जिसे आगे 'विद्वान अधिकरण' के नाम से संबोधित किया जाएगा) द्वारा **क्लेम याचिका संख्या–582/2007, लालू राम बनाम ईश्वर सिंह व अन्य** में पारित निर्णय **दिनांक 03.08.2010** के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधिकरण के समक्ष, मोटर वाहन दुर्घटना में स्वयं के आहत हो जाने के फलस्वरूप **कुल 19,99,000/– रुपये** क्लेम प्राप्त करने हेतु क्लेम याचिका प्रस्तुत की गयी थी। विद्वान अधिकरण द्वारा उक्त क्लेम याचिका में याची को **कुल 63,961/– रुपये** की क्षतिपूर्ति राशि मय ब्याज **07**

प्रतिशत सालाना की दर से दिलवाई गयी है। उक्त निर्णय से व्यथित होकर हस्तगत अपील, अपीलार्थी की ओर से क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने हेतु प्रस्तुत की गयी है।

3. दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क रहा है विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की वार्षिक आय 15,000/– रुपये निर्धारित की जाकर त्रुटि कारित की गयी है, जबकि वक्त घटना अपीलार्थी कारीगर का कार्य कर 6,000/– रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता था। दुर्घटना में अपीलार्थी के पैर में अस्भिभंग व अन्य गंभीर चोटें कारित हुई है, जिनके सामूहिक प्रभाव से उसके शरीर पर कुल 40 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है। विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी तर्क रहा है कि विद्वान अधिकरण द्वारा शारीरिक व मानसिक पीड़ा व भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा की कमी के मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है तथा अन्य मदों में भी अत्यंत कम राशि दिलवाई गयी है, जिनमें बढ़ोतरी की जावे। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर क्षतिपूर्ति राशि में बढ़ोतरी किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कम्पनी की ओर से उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुए विद्वान अधिकरण के निर्णय की पुष्टि किये जाने तथा अपीलार्थी की ओर से संस्थित की गयी अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कंपनी का यह भी तर्क रहा है कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र घटना के डेढ़ साल बाद बनवाया गया है तथा स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र बनाने वाले चिकित्सक को भी साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है। अतः स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र माने जाने योग्य नहीं है। अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी बीमा कंपनी द्वारा न्यायालय का ध्यान निम्न न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया गया :–

- **Rajesh Kumar Vs. Yudhvir Singh & Anr.,** reported in **2008 ACJ 2131**

5. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी। पत्रावली व विद्वान अधिकरण के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

6. मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी को कारित हुई चोटों के फलस्वरूप उसके शरीर पर कुल 40 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–13 के अवलोकन से स्पष्ट है। मोटर दुर्घटना में आहत व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दिलवाये जाने के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने न्यायिक दृष्टांत **Anant Son of Sidheswar Dukre Vs. Pratap son of Zhampannappa Lamzane & Anr.** reported in **(2018) 9 Supreme Court Cases 450,** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया है जो निम्न प्रकार से है :–

> "12. In case of motor accidents leading to injuries and disablements, it is a well settled principle that a person must not only be compensated for his physical injury, but also for the non-pecuniary losses which he has suffered due to the injury. The claimant is entitled to be compensated for his inability to lead a full life, and enjoy those things and amenities which he would have enjoyed, but for the injuries."
>
> "13. The purpose of compensation under the Motor Vehicles Act is to fully and adequately restore the aggrieved to the position prior to the accident. This Court in Yadava Kumar v. National Insurance Co. Ltd. explained "just compensation" in the following words:"
>
> "15. It goes without saying that in matters of determination of compensation both the tribunal and the court are statutorily charged with a responsibility of fixing a "just compensation". It is obviously true that determination of a just compensation cannot be equated to a bonanza. At the same time the concept of "just compensation" obviously suggests application of fair and equitable principles and a reasonable approach on the part of the tribunals and courts. This reasonableness on the part of the tribunal and court must be on a large peripheral field."

7. पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की घटना दिनांक 24.04.2007 की बताई गयी है तथा वक्त घटना अपीलार्थी को 30 वर्ष की आयु का होना बताते हुए कारीगर का कार्य कर 6,000/– रुपये प्रतिमाह की आय अर्जित करना अवश्य बताया गया है। किंतु अपीलार्थी द्वारा अपनी आय का कोई ठोस प्रमाण विद्वान अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है। इन परिस्थितियों में विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की वार्षिक आय 15,000/– रुपये निर्धारित की गई है। जबकि यह सुस्थापित विधि है कि जिन मामलों में आहत की आय प्रमाणित नहीं हो, वहां उसे दैनिक वेतन भोगी मजदूर की श्रेणी में रखा जाकर तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी की दर से ही उसकी आय निर्धारित की जाएगी। वक्त घटना अपीलार्थी को कारीगर का कार्य करना बताया गया है तथा अपने कार्य की प्रकृति के संबंध में स्वयं अपीलार्थी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर ए0ड0 1 के रूप में अपने शपथ पत्र बाबत् साक्ष्य में बयान किया है कि वह कारीगर का कार्य करके प्रतिमाह 6,000/– रुपये आय अर्जित करता था, इस संबंध में बीमा कंपनी की ओर से कोई जिरह नहीं की गई है, जिससे कि अपीलार्थी के कार्य के संबंध में किये गये अभिवचनों व साक्ष्य का खण्डन होता हो। इन परिस्थितियों में यह न्यायालय, अपीलार्थी के कार्य की प्रकृति व घटना की तिथि 24.04.2007 को दृष्टिगत रखते हुए, वक्त घटना अपीलार्थी को कुशल श्रमिक होना मानते हुए तत्समय प्रचलित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार पर उसकी मासिक आय निर्धारित किया जाना उचित समझती है। घटना वर्ष 2007 की है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 के पश्चात् न्यूनतम मजदूरी की दरों में वर्ष 2008 में वृद्धि की गयी है। वर्ष 2007 में न्यूनतम मजदूरी की कोई दर राजस्थान राज्य में निर्धारित नहीं की गयी है। वर्ष 2004 में कुशल श्रेणी के मजदूर श्रमिक की दैनिक आय 81/– रुपये प्रतिदिन तथा वर्ष 2008 में 115/– रुपये प्रतिदिन रही है। ऐसी स्थिति में हम वक्त घटना अपीलार्थी की दैनिक आय 107/– रुपये, तद्नुसार **मासिक आय 107 x 30 = 3,210/– रुपये** निर्धारित किया जाना उचित समझते हैं। विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी की निर्धारित वार्षिक आय पर भविष्य में होने वाली आय में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। विद्वान

अधिकरण ने वक्त घटना अपीलार्थी की आयु 40 से 45 वर्ष के मध्य निर्धारित की है। ऐसी स्थिति में **नेशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2017) 16 एस.सी.सी. 680** में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए उसकी निर्धारित मासिक आय 3,210/– रुपये पर भविष्य की प्रत्याशा की मद में 25 प्रतिशत (802/– रुपये) की बढ़ोतरी किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार अपीलार्थी की कुल शुद्ध मासिक आय 4,012/– रुपये होती है जो क्षतिपूर्ति निर्धारण का आधार रहेगी।

8. हस्तगत दुर्घटना में अपीलार्थी के दाएं पैर में अस्थिभंग व शरीर के विभिन्न भागों में साधारण व गंभीर चोटें कारित हुई हैं। अपीलार्थी के कारित चोटों के सामूहिक प्रभाव से अपीलार्थी के शरीर में कुल 40 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता आना पाया गया है, जैसा कि स्थाई निर्योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदर्श–13 के अवलोकन से स्पष्ट है। किन्तु विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को कारित 40 प्रतिशत स्थाई निर्योग्यता को सम्पूर्ण शरीर के परिप्रेक्ष्य में 10 प्रतिशत ही आंका गया है।

9. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त **Prakash Chand Sharma Vs. Rambabu Saini & Anr.** reported in **2025 SCC Online SC 276,** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "**9.** The Tribunal questioned the competence of the Medical Board to assess the permanent disability of the claimant-appellant, terming the certificate of the Medical Board as not completely reliable. If the Tribunal had reason to doubt the medical certificate, the option available before it was to have the disability re-assessed but it could not have gone into the details of the determination of disability. Since that course of action has not been adopted, the opinion of the Medical Board, being an opinion of the experts is to be treated as such. That apart, the comatose state of the claimant-appellant is not in dispute."

10. जहां तक अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र को जारी करने वाले चिकित्सक को साक्ष्य में परीक्षित नहीं करवाये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में इस न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत **Ms. Aarti vs. Kailash Singh & Ors.** reported in **2015 (2) R.A.R. 675 (Raj.)** में निम्नलिखित मत व्यक्त किया है कि :–

> "12. Prima Facie this Court is of the view that the Learned Tribunal has erred by not admitting Exhibit 12, the physical impairment certificate of the claimant as valid evidence on the ground that the same was not proved by the concerned doctor. As per Section 77 of the Evidence Act, a document or certificate issued by a public servant in the discharge of his official duty is admissible without any formal proof, otherwise also, while deciding a claim petition under the Motor Vehicles Act, the strict rules of evidence do not apply."

11. हस्तगत मामले में स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–13 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र राजकीय जिला चिकित्सालय, दौसा के मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जो कि चिकित्सक के साक्ष्य में उपस्थित नहीं होने मात्र से अमान्य नहीं माना जा सकता तथा चिकित्सक के साक्ष्य में उपस्थित नहीं होने से उक्त स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। ऐसी स्थिति में विद्वान अधिकरण द्वारा स्थाई निर्योग्यता प्रमाण पत्र के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता है।

12. अतः **प्रकाश चन्द शर्मा (उपरोक्त)** व **आरती (उपरोक्त)** के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार हस्तगत मामले में अपीलार्थी की स्थाई निर्योग्यता 40 प्रतिशत होने के आधार पर हम, अपीलार्थी की आय की क्षति भी 40 प्रतिशत होना पाते हैं। तद्नुसार अपीलार्थी की मासिक आय 4,012/– रुपये का 40 प्रतिशत 1,605/– रुपये होता है जो अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की मासिक क्षति है। विद्वान अधिकरण द्वारा वक्त घटना अपीलार्थी को 40 से 45 वर्ष के मध्य की आयु का माना गया है, जिसका

खण्डन नहीं हो सका है। ऐसी स्थिति में **सरला वर्मा व अन्य बनाम देहली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन व अन्य** रिपोर्टेड इन **(2009) 6 एस.सी.सी. 121** तथा **प्रणय सेठी (उपरोक्त)** के मामलों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की क्षतिपूर्ति की गणना हेतु अपीलार्थी की आयु को दृष्टिगत रखते हुए **14 का गुणक** लगाया जाना अपेक्षित है। तद्नुसार अपीलार्थी को भविष्य में होने वाली आय की कुल क्षति **1,605 x 12 x 14 = 2,69,640/– रुपये** होती है जो अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

13. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को मेडिकल बिलों की मद में 42,961/– रुपये की राशि दिलवाई गई है, जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं।

14. विद्वान अधिकरण द्वारा अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा, भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी, पौष्टिक आहार व परिवहन व्यय की मद में कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। अतः हम अपीलार्थी को शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में 40,000/– रुपये, भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी की मद में 40,000/– रुपये, पौष्टिक आहार की मद में 15,000/– रुपये तथा परिवहन व्यय की मद में 10,000/– रुपये की राशि दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

15. स्थायी निर्योग्यता प्रमाण पत्र प्रदर्श–13 के अनुसार दुर्घटना में आई चोटों के फलस्वरूप अपीलार्थी दिनांक 24.04.2007 से दिनांक 17.07.2007 तक कुल 84 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा है तथा दिनांक 06.05.2007 को उसका 1 ऑपरेशन होना भी अंकित है। ऐसी स्थिति में हम अपीलार्थी को 84 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद में 500/– रुपये प्रतिदिन की दर से कुल 42,000/– रुपये तथा 1 ऑपरेशन होने हेतु शल्य चिकित्सा की मद में 10,000/– रुपये की राशि पृथक से दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

16. विद्वान अधिकरण द्वारा ईलाजरत अवधि के दौरान हुई आय की हानि की मद में अपीलार्थी को कोई राशि नहीं दिलवाई गई है। हस्तगत मामले की दुर्घटना में अपीलार्थी के दाएं पैर में अस्थिभंग की गंभीर चोटें कारित हुई हैं। इस कारण अपीलार्थी करीब 3 माह तक कार्य करने में असमर्थ रहा होगा।

ऐसी स्थिति में हम 3 माह की आय की हानि के मद में 3,210 X 3 = 9,630/– रुपये की राशि अपीलार्थी को दिलवाया जाना उचित समझते हैं।

17. उक्तानुसार अपीलार्थी/क्लेमेंट निम्न प्रकार से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की अधिकारी हैं :–

क्रम सं.	**शीर्ष/मद**	**इस निर्णय के तहत निर्धारित की गयी राशि**
1.	भविष्य में होने वाली आय की क्षति के मद में	2,69,640/– रुपये
2.	मेडिकल बिलों की मद में	42,961/– रुपये
3.	शारीरिक व मानसिक पीड़ा की मद में	40,000/– रुपये
4.	भविष्य में होने वाली सुख–सुविधा में कमी के मद में	40,000/– रूपये
5.	पौष्टिक आहार की मद में	15,000/– रूपये
6.	परिवहन व्यय की मद में	10,000/– रूपये
7.	84 दिन अस्पताल में भर्ती रहने की मद	42,000/– रूपये
8.	शल्य चिकित्सा की मद में	10,000/– रूपये
9.	3 माह की आय की हानि की मद में	9,630/– रुपये
10.	**इस न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति राशि**	**4,79,321/– रुपये**
11.	विद्वान अधिकरण द्वारा दिलवाई गई क्षतिपूर्ति राशि	63,961/– रुपये
12.	**बढ़ोतरी पश्चात क्षतिपूर्ति राशि में अंतर**	**4,15,270/– रुपये**

18. तदनुसार यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अधिकरण द्वारा पारित पंचाट, जिसके द्वारा अपीलार्थी/क्लेमेंट को **63,961/– रूपये** दिलवाये जाने का निर्णय पारित किया गया है, के स्थान पर **4,79,321/– रूपये** का पंचाट पारित किया जाता है। उक्त राशि पर नियमानुसार आयकर कटौती की जाएगी। अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्राप्त की गयी राशि को पंचाट राशि में से समायोजित किया जाकर शेष राशि अपीलार्थी प्राप्त करने का अधिकारी पाया जाता हैं।

19. इस निर्णय द्वारा बढ़ाई गई क्षतिपूर्ति राशि पर याचिका दायर करने की तिथि से अपीलार्थी, 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है।

20. निर्णय की प्रति के साथ प्रकरण का अभिलेख संबंधित अधिकरण को लौटाया जावे।

21. तदनुसार यह अपील निस्तारित की जाती है।

22. सभी लम्बित प्रार्थना–पत्रों को भी उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

(ASHUTOSH KUMAR),J

KESHAV VERMA /3